न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—514/2016/223 (2016/00514)

1. गुदड़मल पुत्र स्व0 रामदेव, जाति माली, निवासी तेली की दुकान के पास ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गीतादेवी पुत्री स्व0 पांचू, जाति माली, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— भीमराज पुत्र रोडमल,
   1/2— हनुमान पुत्र रोडमल,
   1/3— दीनदयाल पुत्र रोडमल,
   समस्त जाति माली, हाल नि0 बन्धया कांकरदा, जयपुर रोड़, अजमेर।
2. श्रीमती मीनाक्षी पत्नि विजयसिंह गहलोत, पुत्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी पुरानी चुंगी चौकी, आदर्श नगर, अजमेर, तह0 व जिला अजमेर।
3. श्रीमती रश्मी पत्नि राजकुमार पुत्री मोहनलाल, जाति माली, नि0 काली का मंदिर, फॉयसागर रोड़, तहसील व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती मूली देवी पत्नि स्व0 मांगीलाल, जाति माली, नि0 ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति माली, नि0 ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर हाल नि0 रेल्वे फाटक के पास, तोपदड़ा, अजमेर ।
6. श्रीमती मीरादेवी पत्नि स्व0 मुन्नालाल,
7. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्नालाल,
   दोनों जाति माली, नि0 ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
8. संदीप कुमार पुत्र स्व0 मुन्नालाल, जाति माली, नि0 ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर हाल नि0 विराटनगर, तह0 व जिला अजमेर ।
9. श्रीमती दीपा पतिन मनोज पुत्री स्व0 मुन्नालाल, जाति माली, निवासी ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा, अजमेर ।
10. श्रीमती ज्योति पत्नि अनिल चौहान, पुत्री स्व0 मुन्नालाल, जाति माली, निवासी ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर हाल नि0 चौहानों का बैरा, धोलाभाटा, अजमेर ।
11. श्रीमती धापू पत्नि स्व0 धन्नानाथ (फौत)
12. लक्ष्मणनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ,
13. प्रेम पुत्र स्व0 धन्नानाथ,
14. श्रवणनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ,
15. भोलूनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ,
16. श्योजीनाथ पुत्र स्व0 घीसानाथ,
17. मांगूनाथ पुत्र हजारी,
    समस्त जाति जोगी, नि0 ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
18. जसवंत सिंह पुत्र मोधोसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
20. उप पंजीयक, प्रथम, अजमेर पंजीयन कार्यालय, घूघरा घाटी, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 17.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 201/2013 .

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री सत्यनारायण सोलंकी, वकील रेस्पो0 संख्या 5.
3. श्री एन0के0 जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 6 एवं 8 से 10.
4. श्री विजय स्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 7.
5. श्री लक्ष्मण नाथ, वकील रेस्पो0 संख्या 13 व 14.

(2) अपील संख्याः–15/2017/223 (2017/00015)

1. लक्ष्मणनाथ पुत्र धन्नानाथ,
2. प्रेमनाथ पुत्र धन्नानाथ,
3. श्रवणनाथ पुत्र धन्नानाथ,
4. भोलूनाथ पुत्र धन्नानाथ,
   समस्त जाति जोगी, नि0 लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गीतादेवी पुत्री पांचूलाल पत्नि रोडमल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– भीमराज पुत्र रोडमल,
   1/2– हनुमान पुत्र रोडमल,
   2/3– दीनदयाल पुत्र रोडमल,
   समस्त जाति माली, नि0 लाडपुरा, हाल नि0 ग्राम बंध्या, लोक सेवा आयोग के पीछे, भील बस्ती, कांकरदा (भूणाभय)तह0 व जिला अजमेर।
2. गुदड़मल पुत्र रामदेव, जाति माली, नि0 तेली की दुकान के पास, लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
3. मीनाक्षी पत्नि विजयसिंह पुत्री मोहनलाल, जाति माली, नि0 पुरानी चुंगी चौकी, आदर्श नगर, अजमेर ।
4. रश्मि पत्नी राजकुमार पुत्री मेहरूलाल, जाति माली, नि0 काली का मंदिर, फायसागर रोड़, अजमेर ।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल, जाति माली, नि0 लाडपुरा, हाल निवासी तोपदड़ा फाटक के पास, अजमेर ।
6. श्रीमती भूली देवी पत्नि मांगीलाल,
7. मीरादेवी पत्नि मुन्नालाल,
8. प्रदीप कुमार पुत्र मुन्नालाल,
9. संदीप पुत्र मुन्नालाल,
   समस्त जाति माली, नि0 लाडपुरा, हाल नि0 विराट नगर, कल्याणीपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
10. दीपा पत्नि मनोज पुत्री मुन्नालाल, जाति माली, नि0 गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा, अजमेर ।
11. ज्योति पत्नि अनिल चौहान पुत्री मुन्नालाल, जाति माली, नि0 चौहानों का बैरा, धोलाभाटा, अजमेर ।
12. श्योजीनाथ पुत्र घीसानाथ (नाम तर्क)
13. मांगूनाथ पुत्र हजारी,
14. कैलाश पुत्र लालनाथ,
15. रमेश पुत्र लालनाथ,
16. किशननाथ पुत्र लालनाथ,
    समस्त जाति जोगी, नि0 लाडपुरा हाल नि0 ग्राम नगर, तह0बिजयनगर, जिला अजमेर ।
17. उप पंजीयक प्रथम, अजमेर ।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
19. जसवंतसिंह पुत्र माधूसिंह, जाति रावत, नि0 लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
20. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, भूडोल, जरिये प्रबंधक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 17.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 201/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

(3) अपील संख्याः–202/2017/223 (2017/00202)

1. श्रीमती मीरादेवी पत्नी मुन्नालाल, जाति माली,
2. प्रदीप कुमार पुत्र मुन्नालाल, जाति माली,
   समस्त निवासी ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
3. संदीप कुमार पुत्र मुन्नालाल, जाति माली, निवासी ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर हाल नि0 विराट नगर, धोलाभाटा, अजमेर ।
4. दीपा पत्नी मनोज पुत्री स्व0 मुन्नालाल, जाति माली, नि0 हाल गहलोतों की डूंगरी, धोलाभाटा, अजमेर ।
5. श्रीमती ज्योति पत्नि अनिल चौहान पुत्री स्व0 मुन्नालाल, जाति माली, नि0 चौहानों का बैराा, धोलाभाटा, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 पांचू पत्नि रोडमल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– भीमराज पुत्र रोडमल,
   1/2– हनुमान पुत्र रोडमल,
   2/3– दीनदयाल पुत्र रोडमल,
   समस्त जाति माली, नि0 लाडपुरा, हाल नि0 ग्राम बंध्या, लोक सेवा आयोग के पीछे, भील बस्ती, कांकरदा (भूणाभय)तह0 व जिला अजमेर।
2. गुदड़मल पुत्र स्व0 रामदेव जाति माली, नि0 तेली की दुकान के पास, ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती मीनाक्षी पत्नि विजयसिंह गहलोत, पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति माली, निवासी पुरानी चुंगी चौकी, आदर्श नगर, अजमेर ।
4. श्रीमती रश्मि पत्नी राजकुमार पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति माली, नि0 काली का मंदिर, फाईसागर रोड़, अजमेर ।
5. श्रीमती मूली देवी पत्नि स्व0 मांगीलाल, जाति माली, नि0 लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर हाल नि0 शिव नगर प्रथम तोपदड़ा, अजमेर ।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति माली, नि0 लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर हाल नि0 शिव नगर प्रथम तोपदड़ा, अजमेर ।
7. लक्ष्मणनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ, जाति जोगी,
8. प्रेमनाथ पुत्र स्व0 श्री धन्नानाथ, जाति जोगी,
9. श्रवणनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ, जाति जोगी,
10. भोलूनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ, जाति जोगी,

11. श्योजीनाथ पुत्र घीसानाथ, जाति जोगी,
12. मांगू नाथ पुत्र हजारी जाति जोगी,
    समस्त नि0 ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
13. उप पंजीयक प्रथम, पंजीयन कार्यालय जयपुर रोड़, अजमेर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 17.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 201/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 10.

निर्णय

दिनांकः– 22.01.2019

1. यह तीनों अपीलें विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे अलग–अलग प्रस्तुत हुई है ।
2. तीनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से तीनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।
3. संक्षेप में तीनों अपीलों के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडपुरा स्थित भूमि चौसाला खसरा नंबर 19 लगायत 24, 261, 262, 271, 272, 480, 481 जिसके वर्किग खसरा नंबर 32 लगायत 38, 284, 285, 293, 294, 398, 399, 407/1290 जिसके आधारभूत खसरा नंबर 37 रकबा 0.10 है0, 38 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 39 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 340 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 40 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 41 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 42 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 43 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 321 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 322 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 330 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 331 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 467 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 466 रकबा 0.37 है0, तथा खसरा नंबर 465 रकबा 0.05 है0 में वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता पांचू ापुत्र मुकुन्दा का 1/3 हिस्सा जमाबंदी संवत् 2025 लगायत 2028 में दर्ज है । पांचू का स्वर्गवास होने पर नामांतकरण संख्या 113 दिनुांक 14.1.1983 को वादिया के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया लेकिन वर्किग एवं आधार जमाबंदी में वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का नाम तर्क कर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विवादित भूमि में वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसका वादिया को खातेदार घोषित कर रिकार्ड तथा मौके की किस्म तथा लगान अनुसार बंटवारा किया जाकर वादिया के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । दौराने वाद दिनांक 31.12.2015 को आगामी

पेशी दिनांक 7.1.2016 नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 7.1.2016 को पुटअप नहीं हुई एवं अचानक दिनांक 14.1.2016 को बिना सूचना के पुटअप कर वर्तमान अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात् दिनांक 28.4. 2016 को अंकित आर्डरशीट के अनुसार पत्रावली दिनांक 15.6.2016 को कैम्प कोर्ट भूडोल में नियत की गई, लेकिन पक्षकारान के मध्य राजीनामा विफल हो जाने के कारण आगामी पेशी दिनांक 15.7.2016 नियत कर दी गई । तत्पश्चात् दिनांक 15.7.2016 को काटा–फांसी कर दिनांक 17.6. 2016 अंकित कर दिनांक 17.6.2016 को बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये राज्य सरकार का जवाब एवं प्रतिवादीगण का साक्ष्य ग्रहण किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये दिनांक 17.6.2016 को वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री फरमा दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह तीन अलग–अलग अपीलें इस न्यायालय में पेश की है ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. अपील संख्या 15/2017 (2017/00015) के विद्वान वकील अपीलांटस श्री अजीतसिंह राठौड़ ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2016 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादपत्र दिनांक 10.10.2013 को प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 18 को नोटिस जारी किये गये, दौराने वाद दिनांक 31.12.2015 को आगामी पेशी दिनांक 7.1.2016 नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 7.1.2016 को पुटअप नहीं हुई एवं अचानक दिनांक 14.1.2016 को बिना सूचना के पुटअप कर वर्तमान अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात् दिनांक 28.4.2016 को अंकित आर्डर शीट के अनुसार पत्रावली दिनांक 15.6.2016 को कैम्प कोर्ट भूडोल में नियत की गई, लेकिन पक्षकारान के मध्य राजीनामा विफल हो जाने के कारण आगामी पेशी दिनांक 15.7.2016 नियत कर दी गई थी किन्तु उक्त आदेशिका दिनांक 15.7.2016 को कांटा–फासी कर दिनांक 17.6.2016 अंकित कर दी एवं दिनांक 17.6.2016 को बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये राज्य सरकार का जवाब एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ग्रहण किये बिना एवं बिना तनकियात कायम किये दिनांक 17.6.2016 को वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया जो विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन होकर विधिविरूद्ध है । बहस में आगे कथन किया कि वाद वर्णित आराजियात चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार जेठू, रामदेव व पांचू पुत्रान मुकन्दा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से अपील संख्या 2017/00015 के अपीलांटस के पूर्वज धन्नानाथ पुत्र छीतरनाथ को तत्कालीन खातेदारान यथा रामदेव, पांचू पुत्रान मुकन्दा तथा मोहनलाल, मांगीलाल व मुन्नालाल पुत्रान जेठमल द्वारा आराजी चौसाला खसरा नंबर 480 रकबा 3–9–0 वर्तमान खसरा नंबर 398 रकबा 1–3–0 जिसके आधार खसरा नंबर 467 रकबा 0.19 है0 एवं वर्तमान खसरा नंबर 399 रकबा 2–6–0 जिसके आधारभूत खसरा नंबर 466 रकबा 0.37 है0 एवं चौसाला खसरा नंबर 481 रकबा 6 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 400/1290 रकबा 6 बिस्वा जिसके आधार खसरा नंबर 465 रकबा 0.058 है0 बने है को विक्रय पत्र दिनांक 12.11.1971 को विक्रय कर पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4956 क्रम संख्या 3410 पृष्ठ संख्या 389 से 391 पर विक्रय पत्र पंजीबद्ध

करवा कर धन्नानाथ के हक में निष्पादित कर कब्जा एवं दखल प्रदान कर दिया तब से धन्नानाथ तत्पश्चात् वर्तमान अपीलांटस बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2016 की पालना में वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण संख्या 283 दिनांक 30.8.2016 को तस्दीक कर दिया गया जिसके आधार पर वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र जसवंतसिंह पुत्र माधूसिंह जाति रावत को दिनांक 19.9.2016 को विक्रय कर दी जिसके नाम नामांतकरण संख्या 286 दिनांक 21.9.2016 को तस्दीक कर अमल दरामद कर दिया गया तत्पश्चात् उक्त आराजी जसवंत सिंह ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को रहन रख दी । उक्त विक्रय पत्र में अपीलांटस की क्रयशुदा आराजियात भी शामिल है । इस प्रकार अपीलांटस को पूर्व में विक्रय की गई भूमि बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय पत्र अपीलांटस के हक व अधिकारों तक बेअसर होकर शून्य प्रभावी है । अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पिता धन्नालाल के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.11.1971 को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 को वादग्रस्त आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत करने का लोकस नहीं था। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2016 निरस्त किया जावे ।

6. अपील संख्या 15/2017 (2017/00015) के विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी अजनबी क्रेता जसवंत सिंह द्वारा जबरन अतिक्रमण करने का दिनांक 20.12.2016 को प्रयास किये जाने पर हुई तब निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 26.12.2016 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. अपील संख्या 514/2016 (2016/00514) के अपीलांट के विद्वान अभिभाषक श्री एन0एस0 राजावत ने अपीलांट के अभिभाषक श्री अजीतसिंह राठौड की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 में वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 4 व 17 की मृत्यु होने बाबत् तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही न कर मृतक के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्रारंभ से शून्य है । बहस में आगे कथन किया कि मुन्नालाल पुत्र जेठू का स्वर्गवास अधी0न्याया0 क`समक्ष वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र दिनांक 10.10.2013 को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही हो चुकी है । अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत वाद को पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जानकारी के उपरांत नजरअदांज कर निर्णित किया है जो

विधिविरूद्ध है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अनुचित डिक्री के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 283 से अपने नाम खातेदारी अंकित करवाते हुए अपीलांट के हक में अपने हक व हिस्से की भूमि का विक्रय कर वास्तविक कब्जा व दखल संभलाये जाने के उपरांत भी गैर कानूनी रूप से पश्चात्वर्ती रूप से रेस्पो0 संख्या 18 के हक में विक्रय निष्पादित कर दिया है जो गैर कानूनी है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

8. अपील संख्या 514/2016 (2016/00514) के अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.12.2016 को तब हुई जब प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की जमाबंदी पटवारी हल्का से प्राप्त की गई । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की जानकारी प्राप्त कर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

9. अपील संख्या 202/2017 (2017/00202) के विद्वान अधिवक्ता श्री एन0के0जैन ने अन्य अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए बहस में कथन करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 के निमयों की पालना नहीं की गई जबकि आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 के अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाना चाहिये तथा सम्मन की तामील नहीं होने के उपरांत जरिये रजिस्टर्ड पोस्टल पत्र से तामील करवाई जानी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त नियमों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय के अनुसार अखबार साया के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध है। अधी0न्याया0 की आदेशिका में कांट–छांट हो रखी है जो संदेहास्पद है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया था ऐसी अवस्था में अधी0न्याया0 को वाद एवं जवाबदावा के आधार पर वाद बिन्दु कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । आगे कथन किया कि पांचू पुत्र मुकंदा का स्वर्गवा 1972 में ही हो गया था जिसके कोई पुत्र नहीं था इस कारण अपीलाधीन भूमि जिसके वर्ष 1972 में ही 1/2 हिस्सा जेठू पुत्र मुकंदा एवं 1/2 हिस्सा रामदेव पुत्र मुकंदा का हो चुका था तथा जेठू के तीन पुत्र मोहनलाल, मांगीलाल, मुन्नालाल थे जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है तथा मोहनलाल के वारिस श्रीमती मीनाक्षी पुत्री मोहनलाल एवं रश्मि पुत्री मोहनलाल द्वारा उनके हिस्से की भूमि का विक्रय अपीलांटस के पिता मुन्नालाल के पक्ष में पंजीबद्ध हक त्याग पत्र से किया गया इस प्रकार विवादित भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार मुन्नालाल तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 व 6 तथा 1/2 हिस्सा रामदेव के स्वर्गवास के बाद गुदडमल का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया परन्तु अपीलांटस के पति एवं पिता मुन्नालाल का 1/2 हिस्सा का इंद्राज वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया जबकि मुन्नालाल का 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार अपीलांटस एवं मांगीलल के वारिस रेस्पो0 संश्ख्या 5 व 6 है । वादिया का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था तथा कब्जे के अभाव में वादिया का वाद धारा 88 व 188 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

10. अपील संख्या 202/2017 (2017/00202) के अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि

अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2016 के संदर्भ में अपीलांटस को रेस्पो0 संख्या 6 राजेन्द्र कुमार के द्वारा दिनाक 19.7.2017 को ही यह बताया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में फैसला हो चुका है तत्पश्चात् अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री की प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 26.7.2016 को प्रति प्राप्त होने के उपरांत अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

11. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण आदेश दिनांक 10.2.2016 की पालना में पुनः बटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु विचाराधीन थी लेकिन पत्रावली को कैम्प रावतमाल में रखकर प्रार्थी की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी जो आदेशिका दिनांक 8.6.2016 से स्पष्ट है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

12. जवाब में विद्वान वकील श्री हेमराज गुप्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विवादित भूमियां वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता की खातेदारी की थी जिसकी खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 को साधारण नोटिस जारी किये गये किन्तु तामील नहीं होने पर अधी0न्याया0 द्वारा अखबार में साया करवा कर तामील कराई गई है । अधी0न्याया0 का निर्णिय विधिसम्मत् है । अतः तीनों अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम तीनों अपीलों में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दु पर किसी भी प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर तीनों अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

14. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को निर्णित किया गया है जो विधिविरूद्ध है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 में वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.10.2013 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये । दिनांक 12.3.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश ने वकालनामा तथा जवाबदावा तथा प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से श्री विरेन्द्रसिंह ने वकालत नामा पेश किया । तत्पश्चात् लगभग 19 पेशियों तक पत्रावली में पीठासीन अधिकारी के राज्य कार्य में व्यस्त रहने, अवकाश पर होने आदि कारणों से पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु तारीख तब्दील होती रही है । आदेशिका दिनांक 15.10.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3, 5, 7 लगायत 13 तथा प्रवितादी संख्या 15, 16, 18, 19, 17 के वारिसान की तलबी हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तलबी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अखबार साया कराने

हेतु स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 14.1.2016 को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7 से 13, 15 व 16 व 18 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये । तत्पश्चात् पत्रावली में लगभग 10 पेशियां तब्दील होती रही एवं दिनांक 15.6.2016 को पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई किन्तु उक्त तारीख को पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.6. 2016 दी गई जिसे बाद में ओवर राईटिंग कर दिनांक 17.6.2016 अंकित किया जाना स्पष्ट होता है । इसके उपरांत अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.6. 2016 को अधी0न्याया0 ने प्रकरण में बहस सुनकर वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण की तामील कराये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अखबार में साया के माध्यम से तामीली मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम किये बिना तथा पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई तथा जिरह का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद गुणावगुंण पर विवेचन किये बिना डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधि0न्याया0 द्वारा आदेश 14 नियम 1 जा0दी0 के तहत तनकीयात कायम आदेश 14 नियम 2 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत तनकीवार निर्णय पारित करना आवश्यक था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष मृतक व्यक्तियों के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था जिसकी जानकारी अधी0न्याया0 को थी इसके बावजदू अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री पारित की है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में तीनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

15. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6. 2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 22.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर